

(13) (123)

11

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.6(4)वित्त/नियम/2006 पार्ट-III

जयपुर दिनांक : 15. 7. 2006


आदेश

विषय: राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 - Angiography पर व्यय होने वाली राशि के पुनर्भरण हेतु शिथिलीकरण के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 में सरकारी कर्मचारी द्वारा कराये गये ऑपरेशन इत्यादि के दौरान Angiography पर होने वाले व्यय के पुनर्भरण का प्रावधान नहीं है। इस कारण से राज्य सरकार के पास ऐसे प्रकरणों में व्यय राशि के पुनर्भरण हेतु शिथिलीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं एवं सभी प्रकरणों में शिथिलीकरण प्रदान कर एक वित्तीय सीमा तक पुनर्भरण की सहमति प्रदान की जाती रही है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सामान्य शिथिलीकरण कर आदेश देती है कि प्राधिकृत चिकित्सक के परामर्श पर कराये गये उपचार के दौरान राज्य के सरकारी अस्पताल अथवा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में उपचार के दौरान रोगी के शरीर में Angiography किये जाने पर व्यय की गई राशि (एंजियोग्राफी में प्रयुक्त सर्जिकल आईटम्स, एंजियोफिल्म एवं प्रोसेसिंग फीस) राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 के अन्तर्गत रुपये 6,000/- (छः हजार रुपये) की सीमा तक पुनर्भरण योग्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(सुभाष गर्ग)

शारदा सचिव - तृतीय, वित्त



AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER

No. AVVNL/CAO /AAO (F & R)/ F.1(26)/D. 2310 Dated 18/11/2006

ORDER No. - 199

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), AVVNL, _____.
2. The Dy. Chief Engineer (RFPC), AVVNL, Jaipur.
3. The Financial Advisor, AVVNL, Ajmer.
4. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
5. The Superintending Engineer (), AVVNL, _____.
6. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
7. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer.
8. The Sr. Accounts Officer (), AVVNL, _____.
9. The Dy. Controller of Stores, AVVNL, Ajmer.
10. The Dy. Director of Personnel (), AVVNL, _____.
11. The Accounts Officer (O&M/IA/EA/BUDGET), AVVNL, _____.
12. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, _____.
13. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
14. The Asstt. Accounts Officer (O.E. & S./CPC), AVVNL, Ajmer.
15. The P.A. to Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.

By Order,

(S.M. MATHUR)
CHIEF ACCOUNTS OFFICER
AVVNL, AJMER